31-1-18 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

वकील वादी द्वारा वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया है, कि सरहद मौजा भूती तहसील आमेर के वर्तमान खसरा नंबर 132 रकबा 0.45 है० एवं ख० नं० 546 रकबा 0.99 हैक्टर आराजी पर वादी एवं वादी की पत्नि रम्बादेवी का शामलाती कब्जा काश्त है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम भी दर्ज है। वादी को घर में लाड प्यार से दीपा के नाम से पुकारते थे जिस कारण राजस्व रेकर्ड में भी दीपा दर्ज हो गया, जबकि वादी का वास्तविक पूरा नाम दीपक सोलंकी है। दीपा व दीपक सोलंकी नाम का एक ही व्यक्ति है अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादी के निजी दस्तावेज यानि आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, प्राईवेट लि. कम्पनी मेंनीला का पहचान-पत्र, महाराष्ट्र शासन राजपत्र की प्रति, वादी की पत्नि रम्बादेवी सहखातेदार का सहमति-पत्र एवं स्वयं के स्वयं के शपथ-पत्रों के आधार पर वादी राजस्व रेकर्ड में स्वयं का नाम दीपा के स्थान पर दीपक सोलंकी दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह दावा पेश किया है। प्रतिवादी तहसीलदार आमेर द्वारा भी जवाब में वादी का नाम सहखातेदार की सहमति से दीपाराम की बजाय दीपक सोलंकी पुत्र अन्नाजी दर्ज किये जाने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना कथन किया है। अतः दावा डिक्री जावे। जिस पर प्रतिवादी राज्य पैरोकार द्वारा भी नाम दुरुस्त किये जाने में सहमति व्यक्त की है।

२,

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार वाद में वर्णित आराजी का वादी एवं उनकी पत्नि रम्भादेवी राजस्व रेकर्ड में सह खातेदार है। सहखातेदार द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीक किया हुआ सहमति पत्र पेश कर दीपा पुत्र अचलाजी के स्थान पर दीपक सोलंकी पुत्र अचलाजी सोलंकी दर्ज करवाने में सहमति प्रस्तुत की है। वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादी का वास्तविक नाम दीपक सोलंकी होना पाया गया है। तथा भूमिदावी एवं प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा भी अपने जवाब में सहखातेदार की सहमति से दीपाराम की बजाय दीपक सोलंकी पुत्र अचलाजी दर्ज किये जाने में राज हित प्रभावित नही होने से कोई आपत्ति नही होना कथन किया है। जिसके आधार पर दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है, कि मौजा भूती तहसील आहोर के खसरा नम्बर 132, 546 कुल रकबा 1.44 है० आराजी में दर्ज दीपाराम पि० अचलाराम के स्थान पर दीपक सोलंकी पुत्र अचलाजी सोलंकी दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नंबर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

[मनमोहन व्यास] R.A.S.
[illegible] एस.डी.ओ.